कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः– 346 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 20, जुलाई, 2022 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/67235/2021)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पार्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाष रोड़ देहरादून की फाइल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/119/2021/एफ0सी0/1260 दिनांक 23/12/2021 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 949/13सी0 दिनांक 01.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है।

क0 सं0	लगाई गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	Online portal के part I para C पर upload की गयी के0एम0एल0 फाइल पर केवल लाभान्वित होने वाले गांव की स्थिति ही अंकित की गयी है। प्रस्तावित alignment, alternate alignment if any एवं existing road की स्थिति अंकित नही की गयी है।	उक्तमार्ग 3–4 मी0 चौड़ाई में निर्मित है। पूर्व निर्मित मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। प्रस्तावित alignment में existing road की सही स्थिति अंकित कर दी गयी है एवं alternate alignment की आवश्यकता नही है
2	हालांकि CA क्षेत्र DSS analysis उपयुक्त जान पड़ता है, किन्तु प्रस्तावित CA क्षेत्र की समुद्र तल से उँचाई एवं अन्य कारणों को देखते हुये सम्बन्धित वनाधिकारी (लगभग 3531मी0 msl) सी0ए0 हेतु स्थल की उपयुक्तता को पुनः review / reassess कर comments प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	सी0 ए0 क्षेत्र के नये स्थल का चयन किया गया है। चयनित सी0ए0 हेतु स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र व जिओ–मैप अपलोड कर दिये गये हैं।
3	राज्य सरकार द्वारा यह अवगत किया गया हैं कि प्रस्तावित कार्य में पूर्व मार्ग जो कि 3–4 मी0 चौड़ाई का है का extension किया जाना है। परन्तु land schedule से स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या पूर्व निर्मित मार्ग की स्वीकृति FCA, 1980 में ली गयी थी? क्या land schedule चौड़ाई 9.00मी0 पूर्व चौड़ाई के साथ है या अतिरिक्त? इस विषय पर स्थिति को स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग जोकि पूर्व में 3–4 मी0 चौड़ाई का हैं जिसका Extension किया जाना है। लैण्ड शैड्यूल में पूर्ण चौड़ाई 9.00 मी0 में ली गयी हैं। पूर्व निर्मित मार्ग की स्वीकृति FCA, 1980 अन्तर्गत नही ली गयी है। लैण्ड शैड्यूल में चौड़ाई 9.00 मी0 पूर्व चौड़ाई के साथ ली गयी है।
4	Online part I के para B 2.4 में मलवानिस्तारण हेतु 0.99 हे0 भूमि को वन क्षेत्र में दर्शाया गया है जबकि land Schedule एवं मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार मलुवा निस्तारण हेतु नाप भूमि 0.2 हे0 का चयन किया गया हैं अतः उपरोक्तानुसार आवष्यक संशोधन प्रस्तुत करने का कश्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगता कराया गया है कि मार्ग निर्माण हेतु कुल 5.175 हे0 वनभूमि एवं 1. 192 हे0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है, तथा मलवा निस्तारण हेतु 0.200 हे0 नाप भूमि का चयन किया गया है। पूर्व में त्रुटिवश online Part1 के para B 2.4 में मलुवा निस्तारण हेतु 0. 99 हे0 भूमि को वन क्षेत्र के अंकित कर दिया गया था। पूर्व में डाटा ऑनलाईन अंकित करते

		समय त्रुटिवश भूमि क्षेत्रफल कम दर्शाने के कारण वर्तमान में Para B 2.4 Component Wise Breakup में डाटा दर्शाने में Online portal में डाटा न लेने के कारण केवल road components के भूमि का विवरण अंकित किया गया है। मलवा निस्तारण हेतु 0.200 हे0 नाप भूमि का चयन किया गया है, जिसे आनलाईन अंकित किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। संलग्न लैण्ड शैड्यूल में दर्शायी गई जानकारी सही है।
5	प्रस्तावित road alignment की nearest PAS से दूरी 1.6 किमी0 है जिसके लिए यद्यपि CWLW द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त परियोजना के लिये WL clearance की आवश्यकता नही है परन्तु उक्त मार्ग के बनाये जाने से wild life पर कोई adverse impact है या नहीं तथा किसी तरह के animal passage plan की आवश्यकता है या नहीं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।	उक्त मोटर मार्ग का समरेखन पूर्व से मौजूद कच्चे मार्ग के समरेखन पर ही प्रस्तावित किया गया है, जिससे वन्यजीव पर कोई adverse impact प्रतीत नहीं होता है। तथा उक्त परियोजना में प्रभावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये वन्य जीवों हेतु किसी प्रकार के की आवश्यकता नहीं है। (प्रमाण पत्र संलग्न)

अतः आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आवश्यक प्रपत्र 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 कोको रोसे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।